जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर

(पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना)

जिला नवाचार योजनान्तर्गत समस्तीपुर जिले के नगर परिषद् में अवस्थित इंडोर बैंडमिंटन कोर्ट हेतु सिंथेटिक टर्फ का क्रय किया जाना है। जिसके लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी कम्पनियों और उनके प्राधिकृत विक्रेता सामानों के आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकि एवं वित्तीय निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 30.03.2013 को 3:30 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में दाखिल कर सकते है। जिला क्रय समिति के समक्ष कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 30.03.2013 को 4:00 बजे अपराह्न में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदा दाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

क्रमांक	समग्री का नाम	कुल
1	इंडोर बैंडमिंटन कोर्ट हेतु सिंथेटिक टर्फ	01
	कुल	01

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा दाता द्वारा तकनीकि निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे।
   (i) जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से 5000/- (पाँच हजार) का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जो इलाहाबाद बैंक समस्तीपुर में भुगतेय होगा।
   (ii) VAT निबंधन छायाप्रति एक अद्यतन VAT स्वच्छता प्रमाण पत्र।
   (iii) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत Company/Properitor के नाम PAN No. की छायाप्रति।
   (iv) नोटरी पब्लिक के शपथ-पत्र की निविदा दाता कभी सूची में नहीं रहे हों।
   (v) आपूर्ति की जानेवाली सामग्री से संबंधित विशिष्टियों के लिफलेट।
   (vi) वर्णित सामानों के अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।
1. तकनीकि निविदा में सफल निविदा दाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
2. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम specification (विशिष्टीकरण) दर सहित देना होगा।

अन्य शर्तें :-

3. सामग्री उत्कृष्ट मानक की हो।
4. चयनित विक्रेता को सामग्री का परिवहन व्यय स्वयं करना होगा।
5. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री के रख-रखाव पर आपूर्तिकर्त्ता स्वयं ससमय ध्यान देते रहेंगे।
6. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर गुणवत्तायुक्त सामान संबंधित स्थानों पर आपूर्ति करना होगा।
7. किसी भी निविदा को बिना बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित होगा।

15/3

जिला योजना पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

E:/Karn/March